



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

१८९१  
३१/५/०३

सं. 111]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924

No. 111]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

फा. सं. एन.-10/22/2001-पी.पी.सी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुसोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [हेल्पर, खलासी तथा मोटर क्लीनर पद] भर्ती विनियम 2002 कहा जाएगा।  
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. पद संख्या और वेतनमान -

पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान वह होगा, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

### 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -

उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता:-

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या  
 [ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. प्रारंभिक गठन :-

1. इन पदों पर नियुक्त और नियमित आधार पर इन पदों को धारण करने वाले सभी कर्मचारी और वे सभी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवाएं निगम में स्थानान्तरित करने का विकल्प दिया है इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से सेवा में सदृश पदों, श्रेणियों और काड़ों में नियुक्त माने जाएंगे।
2. उप विनियम [1] में उल्लिखित किसी व्यक्ति की नियमित निरंतर सेवा अवधि को सेवा में प्रोन्ति, पुष्टिकरण और पेंशन के प्रयोजन हेतु संगणित की जाएगी।

6. शिथिल करने की शक्ति -

जहां नियम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बाबत इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, निगम द्वारा किस ..... आदेश उपांतरित या निरस्त किया जा सकेगा।

7. व्यावृति:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य संवर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

8. निर्वचन- यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय निगम, केन्द्र सरकार के परामर्श से करेगा।

| पद का नाम | पदों की संख्या   | वेतनमान  | चयन अवधान पद   | या आयु सम्म  | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और अन्य अर्हताएं                          | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और अन्य अर्हताएं |
|-----------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1. हेल्पर | • 512<br>[2001]  | 2650- 65-<br>3300 - 70 -<br>4000 रुपये   | अवधान पद   | 18-25 वर्ष [ प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ]  | 1. आठवीं स्तर<br>उच्चीर्ण<br>इलेक्ट्रोनिक<br>व मैकेनिकल<br>सशीर्णों का<br>कार्यज्ञान | आयु - नहीं<br>अहता - हाँ                                    |   |   |   |
|           | • स्थानांतरण<br>के लिए<br>विकल्प<br>तथा<br>कार्यमार<br>के आधार पर<br>परिवर्तन<br>अध्यधीन | 25.2.99 को पद<br>धारण करने वाले<br>हेल्परों का और<br>25.2.99 को पद<br>धारण करने वाले<br>प्रोन्ति प्राप्त,<br>जिन्होंने प्रसार<br>भारती की सेवा<br>के लिए विकल्प<br>मार्ग जाने समय<br>उक्त सेवा के लिए<br>विकल्प दिया हो,<br>हेल्परों में 25<br>प्रतिशत का<br>वेतनमान 3050-<br>4590 रुपये होगा। | टिप्पणी:-<br>स्थानांतरण<br>विकल्प<br>के लिए<br>परिवर्तन<br>अध्यधीन<br>के लिए विकल्प<br>मार्ग जाने समय<br>उक्त सेवा के लिए<br>विकल्प दिया हो,<br>हेल्परों में 25<br>प्रतिशत का<br>वेतनमान 3050-<br>4590 रुपये होगा। | 18-25 वर्ष [ प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ]<br>टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में अन्यथियों से अंतिम तारीख होगी। नकि वह अंतिम तारीख जो आसाम, मेघालय, नागार्जुन, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असमाचल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लघुत्तम छोड़ हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिर, जिले और चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के अन्यथियों के लिए विहित की गई है।<br>टिप्पणी:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/ नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |  |   |   |   |   |

|                        |                 |  |  |
|------------------------|-----------------|--|--|
| परिवेश अवधि यदि कोइ हो | भर्ती की पद्धति | गेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्तिआमेलन किया जाएगा           | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना   |
|                        | 2 वर्ष          | 9 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा - 50 प्रतिशत सीधी मर्ती द्वारा | खलासी के काडर से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने काडर में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है।   |
| 8                      | 10              | गेड जिससे प्रोन्नति द्वारा                                   | 1. केन्द्रकार्यालय का प्रधान - अध्यक्ष 2. केन्द्र कार्यालय के मामले में सहायक निदेशक/ केन्द्र अधियंता अथवा कार्यक्रम कार्यपालक अथवा सहायक अधियंता- सदस्य |
| 11                     |                 | प्रतिनियुक्तिआमेलन किया जाएगा                                | 3. समाचार सेवा प्रभाग अथवा विदेश सेवा प्रभाग के मामले में उपनिदेशक - सदस्य 4. केन्द्र अथवा कार्यालय में प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक - सदस्य             |

|           |                |                       |             |  |  |   |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|--|--|---|
| पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान               | चरन अवयन पद | या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं  | क्या भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अयु और शैक्षिक अहंताएं पदोन्नति के मामलों में भी लाग देंगी |
| 1         | 2              | 3                     | 4           | 5  | 6  | 7   |
| 2. खलासी  | • 71 [2001]    | 2610- 3150 - 3540 रु० | 60- 65 - 70 | लागू नहीं  | 18-25 वर्ष [ प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ]<br>टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्यांशियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो आसाम, मेघालय, नगार्हेड, त्रिपुणि, मिजोरम, मणिपुर, असामाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लघुबछ लंबंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिति जिन्हें और चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार और लकड़ीप के अन्यांशियों के लिए विहित की गई है । | आठवीं कक्षा पास तथा सुगारित शरीर  |

टिप्पणः— सोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/ नियुक्ति की दस्ता में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक सोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

|                           |                 |                                       |                     |   |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो | मर्ती की पद्धति | गेड<br>प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | जिससे<br>प्रोन्नति, | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो<br>उसकी संरचना   |
|                           | 8               | सीधी नहीं द्वारा                      | 10                  | लागू नहीं होता  |
| 2 वर्ष                    |                 |                                       |                     | <u>पुष्टिकरण के लिए:</u><br>[1]. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालयकेन्द्र में सहायक केन्द्र इंजीनियर सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समक्ष स्तर का अधिकारी-अध्यक्ष<br>[2]. उस कार्यालय में सहायक इंजीनियर /कार्यक्रम निष्पादक या समक्ष स्तर का अधिकारी- सदस्य<br>[3]. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखापाल -सदस्य |

|                 |  |                               |  |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|
| पद का नाम       | पदों की संख्या   | वेतनमान                       | व्यापार योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के सीमा                              | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निवारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं और प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी | व्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निवारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी |
| 1               | 2  | 3                             | 4  | 5  | 6   | 7   |
| 3. मोटर वर्लीनर | *1<br>[2001]<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | 2650- 65- 3300- 70- 4000 रुपए | लागू नहीं होता   | 18-25 [प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिखिल किया जा सकता है] | आठवीं स्तर पास तथा आठवीं स्तर पर मशीनों का ज्ञान  | लागू नहीं होता  |

टिप्पणि: आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियन्यक तारीख भारत में अस्थिरियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। नकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अस्सीमाचल प्रदेश, सिलिक्षण, जम्मू और कश्मीर का लाइसेंस और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और पम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के अस्थिरियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पणि:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/ नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए नियन्यक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम मेजने के लिए कहा गया है।

|                         |                   |  |  |   |
|-------------------------|-------------------|--|--|---|
| परिवेश अवधि यादि कोइ हो | भर्ती की पद्धति   | गेंद<br>प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | जिससे<br>प्रोत्तति,<br>यदि विमागीय पदोन्नति समिति है तो<br>उसकी संरचना | यदि विमागीय पदोन्नति समिति है तो  |
| 2 वर्ष                  | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता                         | 10   | प्राचिकरण के लिए:   |
| 8                       |                   |  | 11   | [1]. आकाशवाणी/दूरदर्शन के<br>कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र<br>इंजीनियर/ सहायक केन्द्र निदेशक<br>अथवा समक्ष स्तर का अधिकारी-<br>अध्यक्ष |
|                         |                   |  |  | [2] उस कार्यालय में सहायक<br>इंजीनियर/कार्यक्रम निषादक या<br>समक्ष स्तर का अधिकारी- सदस्य<br>प्रशासन अधिकारी/प्रधान<br>लिपिकलेखापाल -सदस्य  |

के. एस. सर्म, कार्यकारी सदस्य  
[चिन्हापन III/IV/163/2002/असा.]

**PRASARBHARATI**  
 (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)  
**NOTIFICATION**  
 New Delhi, the 30th May, 2002

F. No. N-10/22/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement:** (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Helper, Khalasi and Motor Cleaner posts) Recruitment Regulations, 2002.  
 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts and scales of pay:** The number of posts and the scales of pay shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule annexed hereto.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.:** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.
4. **Disqualification:** No person—  
 (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule with prior approval of the Central Government.

5. **Initial Constitution:**

- (1) All the members appointed against these posts and holding these posts on regular basis and who had opted for transfer of their services to the Corporation, shall be deemed to have been appointed from the date of commencement of these regulations to the corresponding posts, grades and the cadres in the service.
- (2) The regular continuous service of a person referred to in sub-regulation (1), shall be counted for the purpose of promotion, confirmation and pension in the service.

6. **Power to relax:** Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations relating to age limit, educational and other qualifications and minimum qualifying service with respect to any class or category of persons or posts :

Provided that the Central Government may, at any time, modify or cancel the order made by the Corporation.

7. **Saving:** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
8. **Interpretation:** If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation with the approval of the Central Government.

**SCHEDULE**

| Name of post | No. of posts | Scale of pay             | Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority | Age limit for direct recruits   | Educational and other qualification required for direct recruits   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment                       | Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.                      | If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition  |
|--------------|--------------|--------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|---|---|--|
| (1)          | (2)          | (3)                      | (4)   | (5)   | (6)  | (7)   | (8)                         | (9)   | (10)  | (11)   |
| 1. Helper    | *512 (2001)  | Rs. 2650-65-3300-70-4000 | Non-Selection post                                      | 18 to 25 years (Relaxable up to 35 years for Prasar Bharati employees). | 1 Passed in 8 <sup>th</sup> Standard.<br><br>2. Working knowledge of Electrical and Mechanical Machines. | Age: No Qualifications: Yes   | Two years                   | 50% by promotion; 50% by direct recruitment | Promotion from the cadre of Khalasis who have three years regular service in the cadre. | 1. Head of Station or Office - Chairman<br>2. Assistant Director or Station Engineer/ or Programme Executive or Assistant Engineer in case of Station or Office - Member<br>3. Deputy Director in case of News Service Division or External Service Division - Member<br>4. Administrative Officer or Head Clerk in the Station or Office - Member |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Himachal Pradesh,<br>Andaman and<br>Nicobar Islands<br>and Lakshadweep |  |  |  |  |  |

**Note:** In respect of post of appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.

| Name of post | No. of posts   | Scale of pay            | Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority | Age limit for direct recruits  | Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment                       | Grade from which promotion or deputation or absorption to be made | If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition  |
|--------------|--|-------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|---|---|--|
| (1)          | (2)  | (3)                     | (4)   | (5)  | (6)  | (7)   | (8)                         | (9)   | (10)  | (11)   |
| 2 Khalasi    | *71<br><br>* Subject to variation dependant on work load | Rs 2610-60-3150-65-3540 | Not applicable  | 18 to 25 years (Relaxable up to 35 years for Prasar Bharati employees) | 8 <sup>th</sup> Standard and possessing good physique            | Not applicable  | Two years                   | 50% by promotion; 50% by direct recruitment | Not applicable  | For confirmation:<br>1 Assistant Station Director or Assistant Station Engineer or an officer of equivalent rank in the offices or stations of Akashvani or Doordarshan - Chairman<br>2 Assistant Engineer or Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office - Member<br>3. Administrative Officer or Head Clerk or Accountant - Member |

Chamba District of  
Himachal Pradesh,  
Andaman and  
Nicobar Islands  
and Lakshadweep

**Note:** In respect of  
post of  
appointment to  
which is made  
through the  
Employment  
Exchange, the  
crucial date for  
determining the  
age limit shall in  
each case be the  
last date up to  
which the  
employment  
exchange is asked  
to submit the  
names

| Name of post    | No. of posts  | Scale of pay            | Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority | Age limit for direct recruits   | Educational and other qualification required for direct recruits                     | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment | Grade from which promotion or deputation or absorption to be made. | If departmental promotion Committee exists, what is its composition   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|--|---|
| (1)             | (2)   | (3)                     | (4)   | (5)   | (6)  | (7)   | (8)                         | (9)                   | (10)   | (11)  |
| 3 Motor Cleaner | *1 (2001)<br>* Subject to variation dependant on workload | Rs 2650-65-3300-70-4000 | Not applicable  | 18 to 25 years (relaxable up to 35 years for Prasar Bharati employees)<br><br><b>Note</b> The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi sub-Divisions of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | 8 <sup>th</sup> Standard pass and must have working knowledge of automobile machines | Not applicable  | Two years                   | By direct recruitment | Not applicable   | 1. Assistant Station Director or Assistant Station Engineer or an officer of equivalent rank in the offices of Akashvani or Doordarshan - Chairman<br>2. Assistant Engineer or Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office - Member<br>3. Administrative Officer or Head Clerk or Accountant - Member |

**Note:** In respect of post

K.S. SARMA, Executive Member  
[ADVT. III/IV/163/2002/Exty.]

of appointment to which  
is made through the  
Employment Exchange,  
the crucial date for  
determining the age limit  
shall in each case be the  
last date up to which the  
employment exchange is  
asked to submit the  
names.